

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प.12(14)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 13-1-2020

::आदेश::


राजकीय वादकरण नीति-2018 के अध्याय-6 के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर, अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों में इस विभाग के विरुद्ध लम्बित/विचाराधीन एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त न्यायिक प्रकरणों की सुचारू रूप से मोनेटरिंग करने हेतु श्री ईश्वरी लाल वर्मा, विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी को विधि विभाग के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

ह०
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण।
3. श्री ईश्वरी लाल वर्मा, विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी।
4. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7. समस्त गवर्नमेंट कौंसिलगण/राजकीय अधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त पैनल लॉयर, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
10. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि